



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228502
CG-DL-E-27072021-228502

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]
No. 411]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

सा.का.नि. 509(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 148 और धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 में, नियम 12 में,-
(क) उपनियम (1) में, आरंभिक भाग में, “ या धारा 148 की उपनियम (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “या धारा 148” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
(ख) उपनियम (5) में, “2019” अंकों के स्थान पर, “2020” अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 82 /2021/फा. सं. 370142/29/2021-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 472(अ), तारीख 07 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2021

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 and section 148 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax (20th Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 12,—

(a) in sub-rule (1), in the opening portion, for the words, brackets and figures “or sub-section (1) of section 148”, the words and figures “or section 148” shall be substituted;

(b) in sub-rule (5), for the figure “2019”, the figure “2020” shall be substituted.

[Notification No. 82 /2021/F. No. 370142/29/2021-TPL]

SHEFALI SINGH, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), *vide* number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 472(E), dated the 07th July, 2021.